

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./
प्रति,

5835

/2017/रायगढ़, दिनांक - 06/08/2017

✓ उपमहाप्रबंधक,

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
ग्राम एवं पोस्ट कोतरा, नन्देली मार्ग
जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

विषय :-

Diversion of 153.448 ha. forest land in favour of Power Grid Corporation of India Ltd. Raigarh for Construction of 765 KV D/C (Hexa) Jharsuguda- Dharamjaygarh Transmission line in the District of Raigarh in the State of Chhattisgarh.

संदर्भ :-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर का पत्र क्रमांक/FC-III/CH-09/2016-NGP/2171 दिनांक 31.07.2017
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़, रायपुर का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विद्युत/479-135/2437 दिनांक 05.08.2017

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा 765 के.वी. D/C झारसुगुड़ा से कोरबा (धरमजयगढ़) तक विद्युत लाईन-II के निर्माण में प्रभावित कुल वन एवं राजस्व वन भूमि 153.448 हेक्टेयर वन एवं राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों (i से xxviii) का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र प्रेषित करें एवं निम्नानुसार राशि जमा करें।

- 1) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण हेतु वर्तमान मजदूरी दर अप्रैल 2017 में देय दर अनुसार लागत राशि रुपये प्रति हेक्टेयर 6,00,222/- की दर से दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र रकबा 186.327 हे. का राशि रुपये 11,18,37,565/- (रुपये ग्यारह करोड़ अठारह लाख सैतीस हजार पांच सौ पैसठ) मात्र जमा करें।
- 2) समादेश याचिका (सी) क्रमांक 202/1995 के अंतर्गत आई.ए. क्रमांक 556 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 के अनुसार तथा मंत्रालय के पत्रांक दिनांक 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव हेतु व्यपवर्तित की जाने वाली 88.0715 हे. की सघन वन भूमि के लिए शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) राशि इको वेल्यु क्लास-III सघन वन अनुसार प्रति हे. 8.03 लाख अनुसार राशि रुपये 7,07,21,415/- एवं 5.092 हे. खुला वन भूमि के लिए शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) राशि इको वेल्यु क्लास-III ओपन फॉरेस्ट अनुसार प्रति हे. 6.26 लाख अनुसार राशि रुपये 31,87,592/- कुल राशि रुपये 7,39,09,007/- (रुपये सात करोड़ उनचालीस लाख नौ हजार सात) मात्र जमा करें।

- 3) अधिरोपित शर्त क्रमांक xi के पालन आवेदित क्षेत्र को 04 फीट ऊँची आर.सी.सी. पीलर्स द्वारा सीमांकित किये जाने हेतु राशि रु. 42,04,588/- (रु. बयालिस लाख चार हजार पांच सौ अठासी) मात्र का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम तैयार कर जमा करें।
- 4) वृक्ष विदोहन की राशि योजना अनुसार 90,80,611/- (रुपये नब्बे लाख अस्सी हजार छः सौ ग्यारह) मात्र का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम तैयार कर जमा करें।
- 5) अधिरोपित शर्त क्रमांक xxi (d) के पालन औषधी प्लांटेशन हेतु राशि रुपये 67,59,492/- (रुपये सड़सठ लाख उनसठ हजार चार सौ बयानबे) मात्र जमा करें।
- 6) अधिरोपित शर्त क्रमांक xxii के पालन पक्षी संवर्धन योजना तैयार कर प्रेषित करें।

बिन्दु क्रमांक 01, 02 और 05 की राशि कैम्पा कार्पोरेशन बैंक में ई-पेमेंट के माध्यम से वेब पोर्टल द्वारा चालान जनरेट कराकर नोडल कार्यालय से अनुमोदन उपरांत जमा करें।

वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

पृ. क्रमांक/तक.अधि./

5836

/2017/रायगढ़, दिनांक -

06/08/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, कोरबा/धरमजयगढ़ को। सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित निम्न शर्तों (i से xxviii) का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन प्रेषित करें।

वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfb-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./
प्रति,

5896

/2017/रायगढ़, दिनांक -

09/2017

उपमहाप्रबंधक,

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
ग्राम एवं पोस्ट कोतरा, नन्देली मार्ग
जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

विषय :-

Diversion of 153.448 ha. forest land in favour of Power Grid Corporation of India Ltd. Raigarh for Construction of 765 KV D/C (Hexa) Jharsuguda- Dharamjaygarh Transmission line in the District of Raigarh in the State of Chhattisgarh.

संदर्भ :-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर का पत्रक्रमांक/FC-III/CH-09/2016-NGP/2171 दिनांक 31.07.2017
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़, रायपुर का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विद्युत/479-135/2437 दिनांक 05.08.2017 एवं दूरभाष दिनांक 07.09.2017 में दिये गये निर्देश।
3. कार्यालयीन ज्ञापनक्रमांक/तक.अधि./5835 दिनांक 06.09.2017

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के उपरोक्तसंदर्भित पत्र द्वारा 765 के.वी. D/C झारसुगुड़ा से कोरबा (धरमजयगढ़) तक विद्युत लाईन-II के निर्माण में प्रभावित कुल वन एवं राजस्व वन भूमि 153.448 हेक्टेयर वन एवं राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। ऊर्ध्वस्वीकृति में अधिरोपित शर्तक्रमांक xxii के पालन में पक्षी संवर्धन योजना तैयार कर प्रेषित करने हेतु आपको संदर्भित पत्रक्रमांक 03 द्वारा लेख किया गया था। आपके द्वारा परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्ष संख्या 11876 पर कृतिम घोंसला तैयार करने हेतु 550/- रु. प्रति वृक्ष की दर से राशि रु. 65,31,800/- का अनुमानित गणना पत्रक तैयार कर प्रेषित किया गया है।

अतः पक्षी संवर्धन योजना हेतु राशि रु. 65,31,800/- (रुपये पैंसठ लाख इकतीस हजार आठ सौ) मात्र कैम्पा कॉर्पोरेशन बैंक में ई-पेमेंट के माध्यम से वेब पोर्टल पर नोडल कार्यालय से अनुमोदन उपरांत चालान जनरेट कराकर जमा करें एवं रसीद की मूल की प्रति तथा पक्षी संवर्धन योजना में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से अनुमोदन उपरांत यदि राशि में बदलाव हुआ तो अंतर की राशि जमा करने हेतु वचन पत्र इस कार्यालय में प्रेषित करें।

वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल, झारसुगढ़

पत्रक्रमांक/तक.अधि./

5897

/2017/रायगढ़, दिनांक -

09/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, कोरबा/धरमजयगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल, झारसुगढ़

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमण्डल धरमजयगढ़ (छ0ग0)

☎ 07766-266599(निवास) 07766-266739(कार्या.) ☎ (फैक्स) 07766-266740 ✉ E.Mail ID-dfo_dharamjaigarh@rediff.co.in

क्रमांक/मा.चि./ 5147

/2017/धरमजयगढ़, दिनांक 23/08/17

प्रति,

सहायक महाप्रबंधक,
पावर ग्रीड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
ग्राम एवं पोस्ट भैसमा जिला कोरबा (छ.ग.)

विषय:- **Diversion of forest land for non - forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 coming under to Construction of 765 KV D/C Jharsuguda - Dharamjaigarh 2nd Transmission Line .**
पंजीयन क्र०- FP/CG/TRANS/8080/2014

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) रायपुर का पृ. क्र./भू-प्रबंध/विद्युत/479 -135/2438 दिनांक 05.08.2017

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जो आपको भी पृष्ठांकित है । अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के संदर्भित पत्र द्वारा 765 के.व्ही. ट्रांसमिशन लाईन निर्माण झारसुगडा से धरमजयगढ़ के प्रकरण में प्रथम चरण की स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रिय कार्यालय नागपुर द्वारा दिनांक 31.07.2017 को जारी कि गई है उक्त स्वीकृति में अधिरोपित शर्त अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण , शुद्ध प्रत्याशा मूल्य, एवं औषधि रोपण की राशि जमा की जानी है ।

शर्त अनुसार प्रकरण में धरमजयगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत प्रभावित होने वाले क्षेत्र रकबा 33.7057 हे. वन एवं राजस्व वन क्षेत्र हेतु निम्नानुसार राशि जमा किया जाना है ।

1. दुगने वैकल्पिक सिंचित वृक्षारोपण हेतु	—	67.4114 ha. x 600222	= 40461805.00
2. शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि वन क्षेत्र			
आरक्षित वन	—	22.780 ha. x 887000	= 20205860.00
संरक्षित वन	—	0.3400 ha. x 803000	= 273020.00
राजस्व वन	—	10.5857 ha. x 626000	= 6626648.00
3. बौने/ औषधी रोपण क्षेत्र 5.508 हे.	—	-	= 2680763.00
योग :-			7,02,48,096.00

अतः आप उपरोक्तानुसार राशि 7,02,48,096.00 (रु. सात करोड दो लाख अडतालीस हजार छियान्चे) मात्र राज्य कैम्पा के खाते में वेब पोर्टल पर ई- चालान उत्पन्न कराकर अनुमोदन उपरांत जमा करें एवं चलान की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध करावें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।


वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

पृ.क्र./मा.चि./ 5148

/2017/धरमजयगढ़, दिनांक 23/08/17

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
3. वन मण्डलाधिकारी रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़ (नोडल अधिकारी) को सूचनार्थ प्रेषित ।


वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल कोरबा, छत्तीसगढ़

☎ का. : 07759-221273, नि. : 07759-222504, फैक्स 07759-223531, Email : dfo_korba@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.अधि./ 6957
प्रति.

कोरबा, दिनांक 04/09/2017

सहायक महाप्रबंधक,
पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमि.
765/400 के.व्ही. उपकेंद्र मैसमा, जिला -कोरबा

विषय :- Diversion of 153.448 ha. of forest land in favour of Powergrid Corporation of India Ltd. Raigarh for Construction of 765KV D/C (Hexa) Jharsuguda-Dharamjaigarh Transmission line in the District of Raigarh in the State of Chhattisgarh.
पंजीयन कोड क्रमांक/FP/CG/Trans/8080/2014

संदर्भ :- 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक FC- III/CH/-09/2016-NGP/2171 दिनांक 31.07.2017।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर का पृ. कं./भू-प्रबंध/विद्युत/479-135/2438 दिनांक 05.08.2017।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जो आपको भी पृष्ठांकित है। संदर्भित पत्र क. 1 द्वारा 765 के.व्ही. डी.सी. झारसुगुड़ा से धरमजयगढ़ (कोरबा) ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु वन प्रकरण में प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक II अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं शर्त क्रमांक VI अनुसार शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि जमा की जानी है।

प्रकरण में कोरबा वनमण्डल अंतर्गत प्रभावित होने वाले क्षेत्र 26.5789 हेक्टे. वन/राजस्व भूमि क्षेत्र के दुगने क्षेत्र का 10 वर्षीय वैकल्पिक सिंचित वृक्षारोपण की अद्यतन दर 600222/- प्रति हे. एवं NPV (कार्य आयोजना अनुसार Eco-class-I Southern Moist Mixed Deciduous Forests (आर्द्र उष्ण कटिबंधीय मिश्रित वन) एवं Eco-class III - Consisting of Tropical Dry Deciduous Forests (उष्णकटिबंधीय शुष्कपर्णपाती वन) अंतर्गत खुली वन के श्रेणी अंतर्गत Eco-class I एवं Eco-class III अनुसार प्रत्याशा मूल्य की गणना पत्रक अनुसार निम्नानुसार राशि जमा किया जाना है :-

क्र.	विवरण	रकबा हे. में	दर	राशि
1	दुगने वैकल्पिक 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण	26.5789 हेक्टे. x 2 = 53.158 हे.	600222/-	3,19,06,601/-
2	शुद्ध प्रत्याशा	Eco-class-I	4.690 हेक्टे.	939000/-
	मूल्य की राशि	Eco-class-III	21.8889 हेक्टे.	626000/-
	योग	26.5789 हे.	—	18106361/-
3	बौना प्रजाति/औषधी रोपण क्षेत्र	3.967 हे.	—	19,28,990/-
			योग	5,19,41,952/-

अतः आप उपरोक्तानुसार राशि 5,19,41,952/- (पांच करोड़ उन्नीस लाख ईक्तालीस हजार नौ सौ बावन रुपये) मात्र राज्य कैम्पा के खाते में वेब पोर्टल पर ई-चालान जनरेट कराकर अनुमोदन उपरांत जमा करें एवं चालान की प्रति इस कार्यालय में जमा करें।

वनमंडलाधिकारी
कोरबा वनमंडल कोरबा

पृ.क्रमांक/तक.अधि./ 6958
प्रतिलिपि -

कोरबा, दिनांक 04/09/2017

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
3. वनमंडलाधिकारी / नोडल अधिकारी, रायगढ़ वनमंडल रायगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
कोरबा वनमंडल कोरबा

GOSHWARA OF PAYMENT DETAILS

क्र	विवरण	रायगढ़ वनमंडल	धरमजयगढ़ वनमंडल	कोरबा वनमंडल	कुल योग
1	दुगने वैकल्पिक 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण राशी	₹ 11,18,37,565	₹ 4,04,61,805	₹ 3,19,06,601	₹ 18,42,05,971
2	शुद्ध प्रत्याशा मूल्य राशी	₹ 7,39,09,007	₹ 2,71,05,528	₹ 1,81,06,361	₹ 11,91,20,896
3	बौना प्रजाती/औषधि रोपण राशी	₹ 67,59,492	₹ 26,80,763	₹ 19,28,990	₹ 1,13,69,245
4	एवी फौना राशी	₹ 65,31,800			₹ 65,31,800
	कुल योग	₹ 19,90,37,864	₹ 7,02,48,096	₹ 5,19,41,952	₹ 32,12,27,912


 एल. के. कमिठा/S. K. KAMITHA
 सहा. प्रशासक (सम-टी.एल.सी.)/
 ASSTT. G. M. (S.S. & TLO)
 पावर ग्रिड, कोरबा/POWER GRID, KORBA